मॉड्यूल 1: बाल अधिकार तथा संरक्षण कानूनों से एक परिचय

सत्र 1: बाल अधिकार और संरक्षण कानूनों की अवधारणा

अवधि: 7:02 मिनट

भाग 1.2 बाल अधिकार: सिद्धान्त और दृष्टिकोण में बदलाव

'बच्चे', 'बाल अधिकार', 'बच्चों के लिए अलग अधिकारों की आवश्यकता', इन सबके बारे में जानने के बाद अब हम बाल अधिकारों के सिद्धान्तों तथा **दृष्टिकोण** में आये बदलावों के बारे में चर्चा करेंगे। इस सत्र में आपको यू एन सी आर सी द्वारा बाल अधिकार को दी गयी मान्यता के बारे में समझ विकसित होगी तथा साथ ही बाल अधिकार के सिद्धान्तों की सूची, संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन एवं बाल अधिकारों को लेकर किस प्रकार आवश्यकता आधारित से अधिकार आधारित **दृष्टिकोण में बदलाव आये हैं, यह बता पाऐंगे।**

आईए अब हम इस बात पर चर्चा करें कि बाल अधिकार के सिद्धान्त क्या हैं।

बाल अधिकार और मानव अधिकार के सिद्धान्त

- व्यापकता (सबके लिए एक समान)
- भेदभाव रहित
- अविभाज्यता (जिसे विभाजित न किया जा सके)
- बच्चे का सर्वोत्तम हित
- उत्तरजीविता एवं विकास
- सहभागिता

अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कब बच्चों के संरक्षण के अधिकार का अक्सर उल्लंघन होता है। संरक्षण के अधिकार के विभिन्न तरीके से उल्लंघन में शामिल है:

बाल लैंगिक दुर्व्यवहार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, सड़क पर जीवन बिताना, अनाथ, पित्यक्त बच्चे, बाल विवाह– अभाव का चक्र, शारीरिक दण्ड, हिंसा, तस्करी, भीख मांगना।

बच्चों के संरक्षण के अधिकारों का हनन तब भी हो सकता है जब वे अथवा उनके परिवार के लोग एच.आई.वी./एड्स, आपदा या कोविड–19 की महामारी से प्रभावित हों।

यह जानना अत्यावश्यक है कि बाल अधिकारों के प्रति **दृष्टिकोण** अब 'आवश्यकता आधारित' से बदलकर 'अधिकार आधारित' हो गया है। नीचे दी गई तालिका में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार **दृष्टिकोण** आवश्यकता आधारित से बदलकर अधिकार आधारित हो गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बाएं हाथ की तरफ के कॉलम, जो आवश्यकता आधारित **दृष्टिकोण** को दर्शाता है, वह जरूरतमंदों के कल्याण पर विचार करना बता रहा है, यद्यपि कुछ जरूरतमंदों को छोड़ना भी पड़ सकता है, क्योंकि सभी जरूरतमंदों का कल्याण नहीं किया जा सकता।

अधिकारों पर आधारित **दृष्टिकोण** के मामले में यह कल्याण के स्थान पर विकास और सशक्तिकरण हो गया है क्योंकि सभी बच्चों को समान अधिकार प्राप्त है।

आवश्यकता आधारित **दृष्टिकोण** में अभिरक्षा और संस्थागत देखरेख को अधिक महत्व दिया जाता है, जबकि अधिकार आधारित **दृष्टिकोण** में, उसके स्थान पर गैर संस्थागत तथा परिवार आधारित विकल्प, जैसे फोस्टर केयर, गोद लेने (एडॉप्शन) इत्यादि प्रक्रिया अपनाई जाती है।

संस्थागत देखभाल से बच्चों को एकाकीपन और अलग–थलग महसूस हो सकता है और देखभालकर्ता उनसे लाभार्थी और प्राप्त करने वाले के रूप में बर्ताव करते हैं। दूसरी तरफ, अधिकार आधारित **दृष्टिकोण** में बाल देखरेख संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण देखरेख देकर, समावेशन और मुख्य धारा से जोड़ते हुए बच्चे के समग्र विकास पर ध्यान दिया जाता है।

आवश्यकता आधारित **दृष्टिकोण** में विशेष तात्कालिक स्थिति का समाधान खोजने की स्पष्ट बाध्यता होती है और कुछ विशेष लोग या समूह इस बात के लिए चिन्हित किए रहते हैं क्योंकि उन्हें बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विशेषज्ञता प्राप्त हैं। अधिकार आधारित **दृष्टिकोण** में, बच्चा एक साझेदार के रूप में होता हैं जो अपने विकास और निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

किसी भी विशेष व्यक्ति को, किसी बच्चे की तरफ से निर्णय लेने की बाध्यता नहीं है। सभी वयस्क, बच्चों को अपना अधिकार पाने में, स्थिति के मूल कारण का विश्लेषण करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

इसके साथ ही हम इस सत्र के समापन तक पहुंच गए हैं।

अब मीरा की कहानी को याद करें। मीरा के गांव में जन्म से ही लड़कियों का जीवन सुरक्षित था। यद्यपि इसके बाद भी एक सक्षम युवा के रूप में विकसित होने के लिए बच्चों को जिनमें लड़कियां भी शामिल हैं, देखरेख और संरक्षण की आवयकता होती है। उदाहरण के लिए मीरा के पर्याप्त वृद्धि और विकास के लिए पोषक आहार, टीकाकरण, शिक्षा तथा उसे चोट, हिंसा तथा दुर्व्यवहार से बचाना भी आवश्यक है। मीरा के माता–पिता, परिवार, पंचायत सदस्य, शिक्षक, उसके गांव के स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये सभी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा ही है ना? अगले सत्र में हम ये विस्तार से जानेंगे कि मीरा की तरह ही हमारे समुदाय के अन्य बच्चों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है।

आईए अब बाल अधिकारों पर एक छोटा सा वीडियो देखें।